चौथी अनुसूची

[धारा 57(क)(i) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 98 में,—

(क) शीर्ष 9804 के स्तंभ (2) में, "और जिनको उनके आयात की बाबत" शब्दों से आरंभ होने वाले और "शीर्ष 9803 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं नहीं हैं" शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 9804 10 00 और 9804 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "35%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।